

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2189
12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण

2189. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शहरी गरीबों के लिए आवासों के निर्माण हेतु मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये आवास देश के सभी शहरों/राज्यों में निर्मित किए जाने की संभावना है या केवल कुछ चयनित शहरों/राज्यों में ही निर्मित किए जाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित/प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है और चयनित शहरों/राज्यों में इसके कार्यान्वयन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, शहरी गरीबों सहित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं अपने-अपने क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हलाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के सभी शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त साधनों से अलग-अलग घटकों के तहत आवास की मांग का आकलन करना होता है। पात्र नागरिक सभी विवरणों के साथ पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं और अपनी मांग दर्ज करवा सकते हैं। लाभार्थियों की

मांग और चयन के आधार पर परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं ताकि आगे केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केन्द्रीय सहायता जारी करने पर विचार किया जा सके।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.66 लाख आवासों सहित कुल 122.28 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवासों में से 114.84 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है; जिनमें से दिनांक 22.01.2026 तक देश भर में 97.02 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इस योजना के तहत स्वीकृत किए गए आवासों के प्रावधान में 2.05 लाख करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है, जिसमें से 1.76 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुपालन के आधार पर जारी किए गए हैं। इस योजना की प्रगति को पीएमएवाई-यू डैशबोर्ड (<https://dashboard.pmay-urban.gov.in>) पर भी देखा जा सकता है।
